उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–2
संख्या–1990 /नौ–2–2013–134सा/13
लखनऊ : : दिनांक: 23 अगस्त, 2013

अधिसूचना/शुद्धिपत्र

शासनादेश संख्या–1515/नौ–2–2013–134सा/13 दिनांक 10.07.2013 द्वारा नगर पालिका परिषद कैराना जनपद शामली हेतु नाम निर्दिष्ट श्री मो0 सलीम पुत्र श्री करामात अली, गुर्जर बैगमपुरा, कैराना, शामली एवं नगर पालिका परिषद शामली जनपद शामली हेतु नाम निर्दिष्ट श्री फरहत खां पुत्र श्री सफाअत खां मो0 अंसारियान, वार्ड नं0–19, कैराना, जनपद शामली का नामांकन एतदद्वारा निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन 1916) की धारा–9 की उपधारा–(1) के खण्ड (घ) की शक्ति का प्रयोग करके श्री फरहत खां पुत्र श्री सफाअत खां मो0 अंसारियान, वार्ड नं0–19, कैराना, जनपद शामली को नगर पालिका परिषद कैराना, जनपद शामली में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं।

2. उक्त शासनादेश संख्या–1515/नौ–2–2013–134सा/13 दिनॉक 10.07.2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

आज्ञा से,

(सी0बी0पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1990 (1)/नौ–2–2013, तद्‌दिनॉक

संयुक्त निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग, लखनऊ को कि इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में दिनॉक 23 अगस्त, 2013 को प्रकाशित कराकर उसकी 50 मुद्रित प्रतियॉ नगर विकास अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
4. जिलाधिकारी, शामली।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/नामित सदस्य नगर पालिका परिषद कैराना, शामली (द्वारा जिलाधिकारी)
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से, 23/8/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।